सत्यमेव जयते

राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद संख्या–17 (लो0सू0अ0)/2023–24

श्री शमीम अख्तर, ग्रा0–भरपुरा, पो0–सोनपुर, जिला–सारण–841101

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
10.05.2023	श्री शमीम अख्तर, ग्रा0–भरपुरा, पो0–सोनपुर, जिला–सारण–841101 के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–04.05.2023 इस कार्यालय में दिनांक–09.05.2023 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या–59F 400896 दिनांक–17.04.2023 जो लेखा पदाधिकारी के पक्ष में देय है, संलग्न है। इसे आवश्यक कार्रवाई हेतु लेखा शाखा को भेजे। अपीलकर्त्ता श्री शमीम अख्तर ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–02.11.2022 को सूचना अधिकार अधिनियम– 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना को दिया था, परंतु लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं होने के फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है। साथ ही उन्होंने उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक–02.11.2022 की प्रति भी संलग्न की है। लोक सूचना पदाधिकारी से उपर्युक्त प्रपत्र 'क' दिनांक–02.11.2022 से संबंधित अभिलेख की मॉग करें तथा अभिलेख पुनः सुनवाई हेतु दिनांक–. 03.06.2023 को उपस्थापित करें। सभी संबंधित को सूचित करें। 10/5/2023 **विशेष कार्य पदाधिकारी** **–सह–** **प्रथम अपीलीय प्राधिकार**	

अपील वाद संख्या–17 (लो०सू०अ०)/2023–24

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
06.06.2023	दिनांक-03.06.2023 को पारित आदेश क्रम में लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना से प्रतिवेदन प्राप्त है। लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय के द्वारा अपीलार्थी के प्रपत्र 'क' दिनांक-02.11.2022 के आलोक में अपने अनुरोध/सूचना का प्रेषण अपने पत्रांक-आर.टी.आई.(स्था.)-16/2023-22/रा.स.(III)दिनांक-02.03.2023 के माध्यम से की गयी है। विदित हो कि लोक सूचना पदाधिकारी से प्राप्त अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उनके समक्ष अपीलार्थी द्वारा जो प्रपत्र 'क' दिनांक-02.11.2022 भेजे जाने का जिक्र किया है, उसकी तिथि को काटकर उन्होंने 10.01.2023 अंकित किया है तथा उक्त प्रपत्र 'क' इस सचिवालय में दिनांक-06.02.2023 को प्राप्त हुआ है। प्रश्नगत मामलें में चूंकि प्रथम अपील सूचना/निर्णय प्राप्त नहीं होने के कारण दायर किया गया है तथा अब लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय द्वारा अपीलार्थी श्री अख्तर को अपना निर्णय संसूचित कर दिया है, अतः इस प्रथम अपील आवेदन पर अग्रतर कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। तद्नुसार सभी संबंधित को सूचित करें। 6/6/2023 विशेष कार्य पदाधिकारी -सह- प्रथम अपीलीय प्राधिकार	

ज्ञापांक-....920.... दिनांक-.08.06.2023

प्रतिलिपिः- लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, पटना/श्री शमीम अख्तर, ग्रा0-भरपुरा, पो0-सोनपुर, जिला-सारण-841101 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई.टी. प्रबंधक, एन.आई.सी., राजभवन, पटना को आदेश के प्रति अपलोड करने हेतु प्रेषित।

7/6/2023

विशेष कार्य पदाधिकारी